167

संख्या–1103/xxiv(7)/2012–45(2)/08

प्रेषक,

राकेश शर्मा
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 18 अक्टूबर, 2012

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2012–2013 में राजकीय महाविद्यालय चौबट्टाखाल पौडी के अनावासीय भवन आदि निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 303/xxiv(7)/2008 दिनांक 07.03.2011 एवं आपके के पत्र संख्या डिग्री विकास/3190/2012–13 दिनांक 22.06.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में राजकीय महाविद्यालय चौबट्टाखाल जनपद पौडी के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु अनुमोदित धनराशि रु. 398.60 लाख में से अवशेष रू. 125.89 लाख के विरुद्ध रु. 100.00 लाख की धनराशि (रु. एक करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा। निर्माण कार्य के लिये अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2013 तक आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाय। तथा प्राचार्य द्वारा कार्य में प्रगति की निरन्तर समीक्षा/समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा निर्माण इकाई द्वारा विलम्ब करने की दशा में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4– निदेशक उच्च शिक्षा कार्यदाई संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व कार्यदाई संस्था से एक सप्ताह में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के विरुद्ध एकेडिमिक रिक्वायरमेंट के अनुरुप समय सारणी अनुसार कार्य पूर्ण करने की लिखित सहमति प्राप्त कर लेगें। यदि लिखित समयावधि के अर्न्तगत कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो, एक माह का ग्रेस पीरियड देते हुये कार्यदाई संस्था से 5 प्रतिशत आर्थिक जुर्माना वसूला जायेगा। तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर कार्यदाई संस्था को काली सूची में सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

.....2/

5– तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था सी0बी0आर0आई0 रुडकी से सुनिश्चित कर ली जाय, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होंगी। इसका व्यय कार्यदायी संस्था को देय चार्जेज (Centage) से किया जायेगा। तृतीय पक्ष गुणवत्ता की विस्तृत सूचना उपलब्ध होने पर अंतिम अवशेष किस्त का भुगतान किया जायेगा।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान सं0 11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखा शीर्षक–4202–शिक्षा खेल कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा– आयोजनागत–03–कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना–24–बृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 92/(p)/xxvii (3)/2012–13 दिनांक 27 सितम्बर, 2012 में दी गयी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव

सं0 1903 (1)/xxiv(7)/2012–45(2)/08 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–आयुक्त गढवाल मण्डल।
3–जिलाधिकारी पौडी।
4–कोषाधिकारी हल्द्वानी–नैनीताल।
5–परियोजना प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम इकाई पौडी गढवाल।
6–प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय चौबट्टाखाल पौडी गढवाल।
7–निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
8–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
9–वित्त अनु0–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनु सचिव।